तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम ... जो तामील...
23/02/2021	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने निवेदन किया। जिस पर वकलाय उभय पक्षों को सुना गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है कि जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर पेश किया गया है उसमें अकेले वादी का 1/12 हिस्से का विभाजन नही कर वादी के भाईयो के साथ भूमि शामिल कर पेश किया गया है। इसलिये पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावें। दौराने बहस वकील प्रतिवादी का कथन है कि जो आपत्ति प्रार्थना पत्र विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया है वह केवल प्रकरण को देरीना करने की गर्ज से पेश किया है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें एवं विभाजन प्रस्ताव अनुसार एफ.डी. जारी कि जावें। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेज एवं प्राथमिक निर्णय व डिक्री, विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 8/1/2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प-51/2008/विविध/10546 दिनांक 5-10-2020 में प्रदत्त दिशानिर्देशानुसार मुताबिक कब्जा काश्त व रिकार्ड अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है। जिस पर स्वयं वादी [illegible] के साथ-साथ अन्य खातेदारान [illegible] हस्ताक्षर व अंगुश निशानी दर्ज [illegible] विभाजन प्रस्ताव वादी [illegible] के अनुसार [illegible] तैयार किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव में किसी प्रकार की खामी होना नहीं पाया जाता है। - लगातार - (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.02 09:21.18 IST
Reason: SelfAttested

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं वादी व प्रतिवादीगण को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पृथक-पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।	
निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।	

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.02 09:21:18 IST
Reason: SelfAttested